

130

130

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, श्रृखला न्यायालय रीवा (म0प्र0)



III/निग0/सीध/2017/2778

PA-301

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक _____/2017-18

- 1- अवधलाल पटेल तनय शम्भू पटेल
- 2- रघुपति पटेल तनय शम्भू पटेल
- 3- अवधेश पटेल तनय शम्भू पटेल
- 4- श्रीमती कपसी पत्नी हीरालाल पटेल
- 5- अनिल पटेल तनय हीरालाल पटेल
- 6- अमरेन्द्र पटेल तनय हीरालाल पटेल

सभी निवासी ग्राम बमुरी कोठार तहसील सिहाबल जिला सीधी म0प्र0-

श्री विष्णुश्रीलाल
गुप्ता द्वारा वेदा/22.8.17

_____निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम,

1- शिवनाथ पटेल तनय श्री महादेव पटेल निवासी ग्राम बमुरीकोठार तहसील
सिहाबल जिला सीधी म0प्र0

2- मध्यप्रदेश शासन

_____ अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश -राजस्व निरीक्षक ,राजस्व
निरीक्षक मण्डल सिहाबल जिला सीधी म0प्र0
प्रकरण क्रमांक- 37/अ-12/16-17 में पारित
आदेश दिनांक 20.5.2017.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व
संहिता 1959

मान्यवर,

M

[Handwritten signature]

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य


[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/सीधी/भू-रा0/2017/2778 जिला-सीधी

अवलाल पटेल/शिवनाथ पटेल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पियूषशील मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील सिहावल के प्रकरण क्रमांक 37/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।</p>	(3)


(बी.एम.शर्मा),
सदस्य